सत्यमेव जयते

सप्तदश

बिहार विधान सभा

अष्टम सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-1

सोमवार, तिथि $\frac{\text{13 चैत्र, 1945 (श०)}}{\text{03 अप्रील, 2023 (ई०)}}$

प्रश्नों की कुल संख्या 55

(1)	गृह विभाग	.. ..	36
(2)	सामान्य प्रशासन विभाग	.. ..	03
(3)	उद्योग विभाग	.. ..	05
(4)	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	.. ..	04
(5)	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	.. ..	04
(6)	गन्ना उद्योग विभाग	.. ..	02
(7)	सूचना प्रावैधिकी विभाग	.. ..	01
		कुल योग --	55

स्थानान्तरण करना

*2893. श्री अजय यादव (क्षेत्र संख्या-233 अतरी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत थाना लदनिया में थाना प्रभारी 4 वर्षों से एक ही स्थान पर पदस्थापित हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि एक स्थान पर तीन वर्षों तक ही पदस्थापन का प्रावधान है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त थाना प्रभारी का स्थानान्तरण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कराना

*2894. श्री राजेश कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-104 हथुआ)--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड एवं शिया वक्फ बोर्ड में पदाधिकारी के अभाव में सँचिकायें ससमय उपस्थापित नहीं होती है एवं कार्य प्रभावित होता है तथा वर्तमान में दोनों बोर्ड का कार्य एक ही मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा कराया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वर्णित बोर्ड में पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

समान वेतन देना

*2895. श्री संदीप सौरभ (क्षेत्र संख्या-190 पालीगंज)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सामान्य प्रशासन विभाग सहित अन्य विभागों में कार्यरत सँविदा कर्मी, जो सरकार द्वारा निर्धारित नियमित कर्मियों की तरह कार्य करते हैं, फिर भी उन्हें ना तो नियमित कर्मियों के बराबर वेतन मिलता है और ना ही रोजगार में स्थिरता की गारंटी मिलती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार सँविदा कर्मियों का सेवा वर्ष तय करने तथा इन्हें समान काम के बदले समान वेतन देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2896. श्री केदार प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-93 कुढ़नी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत काजी मोहम्मदपुर थाना में कांड संख्या 66/023 में अपहरण का केस दर्ज किया गया था, जिसमें वाहन स्कॉर्पियो बरामद हो गया है, परन्तु ड्राइवर का अभीतक पता नहीं चल पाया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक अपहृत ड्राइवर की बरामदगी का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2897. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 9 सितम्बर, 2022 में छपी खबर के शीर्षक ''बिहार में 10 हजार छोटे उद्योग लगाने का लक्ष्य'' के आलोक में क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में 10 हजार छोटे उद्योग लगाने का लक्ष्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उपरोक्त लक्ष्य को पूरा करने के लिये कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

कारगर कदम उठाना

*2898. श्री जय प्रकाश यादव (क्षेत्र संख्या-46 नरपतगंज)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नरपतगंज प्रखंड के घुरणा थाना क्षेत्र स्थित पथराहा पंचायत में 13 जनवरी को भूमि विवाद की जाँच करने पहुँची पुलिस टीम पर बदमाशों ने हमला बोलकर उनकी राइफल छीनने का प्रयास किया, जिसमें 4 पुलिस कर्मी घायल हो गये एवं हमलावरों ने पुलिस गाड़ी को क्षतिग्रस्त करते हुये थानाध्यक्ष राजनंदिनी के साथ मार-पीट की एवं 20 फरवरी को उसी पंचायत में तस्करों ने एस0एस0बी0 कमांडेंट को गोली मार दी, जिससे संबंधित नरपतगंज घुरणा थाना कांड संख्या 23/2023, दिनांक 12 जनवरी, 2023 एवं 93/2023, दिनांक 20 फरवरी, 2023 दर्ज है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, यदि हाँ, तो सरकार अररिया जिला के नरपतगंज प्रखंड सहित प्रदेश स्तर पर हो रही आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने हेतु कौन-सा कदम उठाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*2899. श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय (क्षेत्र संख्या-102 कुचायकोट)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत कुचायकोट प्रखंड के पंचायत बंगालखाड़ के हेमबरदाहा गाँव में अबतक कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बहाल कराना

*2900. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत काराकाट विधान सभा के प्रखंड काराकाट के निवासी श्री शिवमुनी यादव जो चौकीदार पद पर तैनात थे, ने चौकीदार पद से स्वैच्छिक निवृत्ति लेने तक अपने आश्रित पुत्र रितेश कुमार को नियुक्त करने का अनुरोध दिनांक 5 मई, 2022 को जिलाधिकारी, रोहतास से किया था, किन्तु अभीतक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार श्री रितेश कुमार को कबतक चौकीदार पद पर बहाल करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

थाना खोलना

*2901. श्री ऋषि कुमार (क्षेत्र संख्या-220 ओबरा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत दाउदनगर अनुमंडल अन्तर्गत दाउदनगर स्थित नगर थाना है, जिसके अन्तर्गत नगर परिषद् क्षेत्र के 27 वार्ड एवं 15 पंचायत एव एन0एच0 120 एवं 139 का जंक्शन बुद्ध सर्किट पड़ता है, किन्तु बढ़ती हुई आबादी एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से आमजनों को काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक दाउदनगर में मुफस्सिल थाना खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

*2902. श्री हरिशंकर यादव (क्षेत्र संख्या-108 रघुनाथपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दस्तगीर खान वल्द स्व0 अमानत खान, ग्राम-सलेमपुर, थाना-रघुनाथपुर, जिला-सीवान के फास्ट ट्रैक कोर्ट नं0-1 द्वारा पारित जजमेंट दिनांक 15 मार्च, 2002 के सत्र वाद सं0 297/95 राज्य बनाम परमा कुर्मी एवं वाद में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, उसकी सजा वर्ष 2019 में पूर्ण होने के बाद आजतक रिहाई नहीं किया गया है, जबकि सूचना के अधिकार में कारा एवं सुधार निदेशालय, गृह विभाग के पत्रांक 2685, दिनांक 3 मार्च, 2022 के द्वारा अधीक्षक, मंडल कारा, अररिया के पत्रांक 3354, दिनांक 8 दिसम्बर, 2021 द्वारा राज्य दण्डादेश परिहार पर्षद की बैठक में प्रस्तुत करने के बाद रिहा करने की सूचना दी गयी है, यदि हाँ, तो उक्त कैदी को आजतक रिहा नहीं करने का क्या औचित्य है ?

दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करना

*2903. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार के संकल्प संख्या 3663, दिनांक 2 मई, 2017 के अनुसार प्रत्येक विधायक को 24 घंटे सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु 3-3 अंगरक्षक दिए जाने का आदेश निर्गत है ;

(2) क्या यह बात सही है कि माननीय सदस्य के साथ प्रतिनियुक्त अंगरक्षक को बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए और बिना माननीय सदस्य को सूचना दिए स्थानांतरण कर दिया जाता है जिसके कारण माननीय सदस्यों की सुरक्षा पर खतरा बना रहता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो इसका औचित्य क्या है ?

प्रस्ताव भेजना

*2904. श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह (क्षेत्र संख्या-1 वाल्मीकिनगर)--क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नागर विमानन मंत्रालय द्वारा दिनांक 21 अक्टूबर, 2016 को क्षेत्रीय सम्पर्क योजना उड़ान पूरे देश में शुरू की गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण के वाल्मीकिनगर हवाई अड्डा अपरिचालित हवाई अड्डों की सूची में शामिल है जबकि वाल्मीकिनगर बिहार का एक टूरिस्ट स्थल है, जहां देश-विदेश के पर्यटक आते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वाल्मीकिनगर हवाई अड्डा चालू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तानों की घेराबंदी

*2905. श्री अशोक कुमार (क्षेत्र संख्या-132 वारिसनगर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत वारिसनगर प्रखंड में बेगमपुर और शेखोपुर स्थित कब्रिस्तानों की घेराबन्दी नहीं कराए जाने की वजह से अन्य कठिनाई के साथ यह पशुओं का चारागाह बन गया है, जिससे स्थानीय लोगों में क्षोभ है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दोनों कब्रिस्तानों की घेराबन्दी कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जाम से मुक्ति

*2906. श्री राजेश कुमार (क्षेत्र संख्या-222 कुटुम्बा (अ0 जा0))--हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र दिनांक 18 मार्च, 2023 के अंक में छपी खबर के शीर्षक ''कोईलवर-छपरा फोरलेन पर महाजाम से पैदल चलना मुश्किल'' के आलोक में क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि आये दिन कोईलवर-छपरा फोरलेन पर लगने वाले महाजाम का कारण बालू की ओवरलोडेड ढुलाई में लगे ट्रकों-ट्रैक्टरों के अनियंत्रित परिचालन और पुलिस जिला प्रशासन की सुस्ती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि ऐसे महाजाम से लोगों का पैदल चलना और रोगियों के एम्बुलेंस का निकलना भी मुश्किल होने से आमजन की जिंदगी अस्त-व्यस्त हो गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनता को महाजाम से मुक्ति दिलाने के लिये कोई कारगर रोड मैप बनाने और उसे सख्ती से लागू करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण कराना

*2907. श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव (क्षेत्र संख्या-17 पिपरा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के मेहसी प्रखंड अंतर्गत जय बजरंग ओ0पी0 की स्थापना वर्ष 2015 में हुई थी, लेकिन भवन का निर्माण अभीतक नहीं हो पाया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त ओ0पी0 पंचायत भवन एवं विद्यालय में चल रहा है, जिससे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार जय बजरंग ओ0 पी0 का अपना भवन निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2908. श्री फते बहादुर सिंह (क्षेत्र संख्या-212 डिहरी)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सी0 डब्लू0 जे0 सी0 नं0-115679/2021 में माननीय न्याय खण्डपीठ, पटना का आदेश दिनांक 13 सितम्बर, 2021 के अनुपालन में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अंतरिम आदेश के तहत श्रीमती विशाखा सिंह उर्फ विशाखा साठोने की जाति प्रमाण-पत्र की जाँच जिला प्रशासन से राज्य सरकार के मानक के तहत करने का आदेश दिया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि जिलाधिकारी, रोहतास द्वारा ससमय जाँच नहीं किए जाने के कारण श्रीमती विशाखा सिंह नगर परिषद्, डिहरी डालमियानगर, रोहतास के मुख्य पार्षद के पद पर अपना कार्यकाल पूरा कर चुकी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार श्रीमती विशाखा सिंह उर्फ विशाखा साठोने के गलत जाति प्रमाण-पत्र की जाँच में हुई देरी के लिए दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चेक पोस्ट लगाना

*2909. श्री अनिल कुमार (क्षेत्र संख्या-24 बथनाहा (अ0 जा0))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला अंतर्गत मेजरगंज थाना से रीगा थाना की दूरी 15 कि0मी0 होने से आये दिन लूट-पाट की घटना होती रहती है, जबकि रास्ते में एक भी पुलिस चेक पोस्ट नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पूर्व में मौदह में चेक पोस्ट था, जो अब नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त स्थान पर पुनः चेक पोस्ट कबतक खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास का निर्माण

*2910. श्री ऋषि कुमार (क्षेत्र संख्या-220 ओबरा)--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला अंतर्गत दाउदनगर नगर परिषद् स्थित मदरसा इस्लामिया, मदरसा नं0 23 में छात्रावास नहीं होने से छात्रों को रहने में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त मदरसा में छात्रावास निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*2911. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला के बारूण प्रखंड अंतर्गत कोचाढ़ पंचायत के इंगलिस ग्राम में अवस्थित कब्रिस्तान की घेराबन्दी नहीं होने से आवारा पशुओं और असामाजिक तत्वों का आवागमन होता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नीलामी कराना

*2912. श्री विनय बिहारी (क्षेत्र संख्या-5 लौरिया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत योगापट्टी व लौरिया थाना सहित अन्य थानों में जब्त दुपहिया, चारपहिया एवं बड़े मालवाहक आदि सैकड़ों गाड़ियाँ खुले आसमान के नीचे सड़ रहे हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि जब्त गाड़ियों की नीलामी नहीं होने से राजस्व की क्षति के साथ गाड़ियों के मूल्यवान पार्ट्स आदि की चोरी भी होती रहती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार थानों में जब्त गाड़ियों की नीलामी कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

उर्दू भवन की स्थापना

*2913. श्री छत्रपति यादव (क्षेत्र संख्या-149 खगड़िया)--क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिले में अल्पसंख्यकों की लगभग डेढ़ लाख आबादी है, जो उर्दू भाषी है, किन्तु इस भाषा के प्रचार-प्रसार के लिये कोई केन्द्र स्थापित नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार खगड़िया में उर्दू भाषा के विकास के लिये उर्दू भवन की स्थापना करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सुविधा देना

*2914. डॉ0 सुनील कुमार (क्षेत्र संख्या-172 विहारशरीफ)--क्या मंत्री, सूचना प्रावैधिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेल्ट्रॉन में संविदागत आधारित ग्रेड 2 के 64 डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों को ग्रेड 1 संरक्षण की सुविधा दी गई है, जिनकी सेवा दिनांक 1 जनवरी, 2018 से पूर्व लगातार 10 वर्ष हो चुकी है एवं दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उन 64 ऑपरेटरों में क्रमांक 60 पर अंकित ऑपरेटर की सेवा वर्ष 2016 में वापस की गई, जिससे इनकी सेवा लगातार 10 वर्ष पूर्ण नहीं हुई, फिर भी उन्हें ग्रेड 1 संरक्षण की सुविधा दी गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शेष डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों, जिनकी सेवा दिनांक 1 जनवरी, 2018 के बाद 10 वर्ष हो चुकी है तथा समायोजित करके 10 वर्ष हो चुकी है, उनको ग्रेड 1 संरक्षण की सुविधा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अभियुक्तों को गिरफ्तारी

*2915. श्री केदार प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-93 कुढनी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के महुआ थाना में सीमा कुमारी, पिता-प्यारे लाल राम की हत्या से संबंधित कांड संख्या 138/2020 दर्ज है, किन्तु उक्त कांड के अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभीतक नहीं हुई है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कांड के अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

श्रेणी एवं स्थान निर्धारित करना

*2916. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि किसी बिहार विधान सभा क्षेत्र में आयोजित राजकीय समारोह/कार्यक्रमों के आमंत्रण में अतिथियों की तीन श्रेणियाँ क्रमशः उद्घाटनकर्ता, अतिविशिष्ट एवं विशिष्ट अतिथि निर्धारित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि किसी विधान सभा क्षेत्र में स्थानीय विधायक के महत्व को देखते हुये उक्त श्रेणी में उच्च स्थान नहीं दिया जाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राजकीय समारोह में स्थानीय विधायक की श्रेणी एवं स्थान निर्धारित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अनुदान देना

*2917. श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव (क्षेत्र संख्या-17 पिपरा)--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि ईखायुक्त, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 30 दिसम्बर, 2022 को आयोजित बैठक में पेराई सत्र 2022-23 के लिये परिवहन अनुदान की दर 48 पैसे/किलो मीटर प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया, लेकिन ना तो इसकी सूचना किसानों को दी गई, ना ही परिवहन अनुदान का भुगतान किया गया, जिससे किसानों में नाराजगी है, यदि हाँ, तो सरकार पेराई सत्र 2022-23 में परिवहन अनुदान कबतक देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*2918. श्री रणविजय साहू (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के शाहपुर पटोरी प्रखंड में अल्पसंख्यक छात्रावास नहीं रहने के कारण अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं के पढ़ाई में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार छात्रहित में कबतक उपरोक्त स्थान पर अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--स्वीकारात्मक । राज्य सरकार द्वारा राज्य योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के माध्यम से प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक अल्पसंख्यक बालक एवं एक बालिका छात्रावास का निर्माण कराया जाता है। वर्तमान नीति के अनुसार राज्य योजनान्तर्गत प्रखंड स्तर पर छात्रावास निर्माण का प्रावधान नहीं है। समस्तीपुर जिले में एक अल्पसंख्यक बालक छात्रावास निर्माणाधीन है।

कार्रवाई करना

*2919. श्री संदीप सौरभ (क्षेत्र संख्या-190 पालीगंज)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 01/2019 की परीक्षा संबंधित दस्तावेजों की नीलामी की तिथि इसकी वेबसाइट पर दिनांक 30 अक्टूबर, 2021 को प्रदर्शित है, किन्तु आयोग द्वारा सूचना के अधिकार के तहत इस सम्बन्ध में पत्रांक संख्या प०स०सू०अ०को० 401/2021/बि०पु०अ०से०आ०-2285, दिनांक 25 नवम्बर, 2021 प०स०सू०अ०को० 401/2021/बि०पु०अ०से०आ०- 20 पटना, दिनांक 06 पटना, दिनांक 06 जनवरी, 2022 प०स०सू०अ०को० 113/2021/बि०पु०अ०से०आ०-110 पटना, दिनांक 04 फरवरी, 2022 तथा प०स०सू०को०-401/2021/ बि०पु०अ०से०आ०-1444 पटना, दिनांक 21 अक्टूबर, 2022 में दस्तावेज की नीलामी एवं ओ०एम०आर० उत्तर पुस्तिका की नीलामी की तिथि के संबंध में दी गई जानकारी भिन्न-भिन्न है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जांच कराते हुये दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण

*2920. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केसरिया)--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत कल्याणपुर प्रखंड के नारायणपुर में अल्पसंख्यक छात्रावास नहीं रहने के कारण छात्र-छात्राओं को कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार नारायणपुर में अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मंदिर की घेराबंदी कराना

*2921. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनिहारी (अ०ज०जा०))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के अमदाबाद प्रखंड अन्तर्गत किशनपुर पंचायत के पोखरिया काली मंदिर में प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को हजारों श्रद्धालु वहां पूजा अर्चना करने आते है, लेकिन इस मंदिर की घेराबंदी नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त मंदिर की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2922. श्री रत्नेश सादा (क्षेत्र संख्या-74 सोनवर्षा (अ०जा०))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलानतर्गत महिषी प्रखंड के नहरवार पंचायत के वार्ड नं० 8 में मसोमात पुतिल देवी, पिता-अरूण मुखिया, बिल्टु मुखिया, पिता-मुखी मुखिया एवं अन्य चार-पाँच व्यक्तियों के द्वारा जाति सूचक शब्द एवं मारपीट करने के संबंध में रीना भारती, पति-मनोहर भारती, पता-नहरबाद, पो०-मैना ग्राम, थाना महिषी जिला-सरसा एससी०/एसटी० थाना में सनहा दर्ज कराने के लिये दिनांक 23 जनवरी, 2023 को गई थी, परंतु थाना प्रभारी के द्वारा केस दर्ज करने से इंकार किया

गया और पीड़ित महिला को डरा-धमकाकर सुलह करने को कहा गया, यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बकाया वेतन का भुगतान कराना

*2923. श्री विजय कुमार मंडल (क्षेत्र संख्या-51 सिकटी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिला के कुर्साकांटा प्रखंड के हरिरा पंचायत के ग्राम खजूरबाड़ी की निवासी मंजू देवी के पति पु०अ०नि० स्व० रामानंद पासवान का सारण जिलान्तर्गत दिघवाड़ा थाना में ड्यूटी के दौरान आकस्मिक मृत्यु 27 अगस्त, 2015 को हो गई थी जिनका तृतीय ए०सी०पी० के तहत भुगतान हेतु जिला आदेश संख्या 1672/2020 निर्गत हो चुका है, परन्तु 26 जून, 2020 से अभी तक भुगतान नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त बकाया वेतन का भुगतान कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चीनी मिल लगाना

*2924. श्री अजय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-166 जमालपुर)--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिलान्तर्गत तारापुर एवं खड़गपुर अनुमंडल में पूर्व में हजारों हेक्टेयर में गन्ना की खेती होती थी, परन्तु वर्तमान में गन्ना की खेती बंद है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक किसानों को गन्ना की खेती के लिये प्रोत्साहित करने एवं चीनी मिल लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था कराना

*2925. श्री मुहम्मद इजहार असफी (क्षेत्र संख्या-55 कोचाधामन)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत बरबट्टा किशनगंज जाने वाला मार्ग वाया रहमतपारा, मस्तान चौक के पास जाम के कारण आमजनों को आवागमन में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्थान में ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उद्योग लगाना

*2926. श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह (क्षेत्र संख्या-1 वाल्मीकिनगर)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिला के वाल्मीकिनगर में बियाडा की 15 एकड़ जमीन पर कोई लघु उद्योग एवं हस्तकरघा सहित वृहत उद्योग नहीं लगा हुआ है, जबकि उक्त बियाडा की जमीन विगत 5 वर्षों से खाली पड़ी हुई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त खाली पड़ी जमीन पर लघु उद्योग, हस्तकरघा एवं वृहत उद्योग कबतक लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--पश्चिम चम्पारण जिला के वाल्मीकिनगर में बियाडा की कोई जमीन नहीं है।

सुविधा देना

*2927. श्री संजय सरावगी (क्षेत्र संख्या-83 दरभंगा)--क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 1658, दिनांक 05 फरवरी, 2021 द्वारा मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के बिहार विकास मिशन द्वारा निबंधन एवं परामर्श केन्द्र हेतु 6 पदों यथा (क) प्रबंधक (ख) सहायक प्रबंधक (ग) सहायक प्रबंधक योजना (घ) सुपरवाईजर (आई०टी०) (ड़) मल्टी पर्पस असिस्टेंट (च) सिंगल विंडो ऑपरेटर, जिनका नियोजन संविदा के आधार पर किया गया है, को योग्य अवधि या 60 वर्ष तक सेवा अवधि करने, अर्जित अवकाश, मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, सेवा अभिलेख संधारण, नियोजन के समय से 10 प्रतिशत मानदेय बढ़ोतरी एवं अन्य कई सुविधा देने का आदेश निर्गत किया गया था, किन्तु अभीतक इनमें से अधिकांश निर्देश का पलन नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार वर्णित कर्मियों को आदेश के आलोक में सुविधा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जेल निर्माण कार्य प्रारम्भ करना

*2928. श्री विद्या सागर केशरी (क्षेत्र संख्या-48 फारबिसगंज)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिला के फारबिसगंज अनुमंडल में जेल बनाने की घोषणा सरकार द्वारा वर्ष 2013-14 में की गई थी, जेल निर्माण हेतु अगस्त, 2015 में जमीन उपलब्ध कराने के बावजूद आजतक जेल का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार जेल निर्माण कार्य कबतक प्रारंभ कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आवास एवं वाहन की व्यवस्था करना

*2929. श्री विश्व नाथ राम (क्षेत्र संख्या-202 राजपुर (अ०जा०))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के डुमराँव अनुमंडल के थाना कोरानसराय के महिला सुरक्षा कर्मी के लिये बैरक, पदा०/कर्मचारियों के लिये आवास एवं वाहन नहीं रहने के कारण निष्पादन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त थाना के महिला सुरक्षा कर्मी के लिये बैरक, थाना के पदा०/कर्मचारियों के लिये आवास एवं वाहन की व्यवस्था करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

गिरफ्तार करना

*2930. श्री सुदामा प्रसाद (क्षेत्र संख्या-196 तरारी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कैमूर जिलान्तर्गत ग्राम-मोरवा (कुतुमनपुर) थाना चाँद के निवासी सुरेश राम, पिता-स्व० भोला राम के दो बच्चों की हत्या जिसमें दिनांक 01 मार्च, 2022को उनके दूसरे बच्चे रंग बहादुर उर्फ सोनू, उम्र 4 वर्ष की हत्या संतों सिंह और अन्य तीन लोगों ने मिलकर कर दी, जिसका चाँद थाना में थाना कांड संख्या 60/2022 दर्ज है,

(2) क्या यह बात सही है कि इन बच्चों के हत्यारों में से अधिकांश अभी भी कानून के पकड़ से बाहर खुलेआम घूम रहें हैं और सुरेश राम के परिवार को धमकी दे रहे हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार सुरेश राम और उनके परिवार को सुरक्षा देने तथा उक्त कांड के अभियुक्तों को कबतक गिरफ्तार करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*2931. श्री फते बहादुर सिंह (क्षेत्र संख्या-212 डिहरी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत डिहरी प्रखंड के पाण्डेयपुर तथा अकोढ़ीगोला प्रखंड के छोटकी विसेनी के कब्रिस्तानों की घेराबंदी नहीं होने के कारण दिन-प्रतिदिन अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चालू कराना

*2932. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आमर्स लाइसेंस को लेकर ऑनलाइन पोर्टल एन०डी०ए०एल० (नेशनल डाटाबेस ऑफ आर्म्स लाइसेंस) ए०एल०आई०एस० विकसित किया गया है जिस पर लाइसेंसे का सभी डाटा अपलोड किया जाना है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में आर्म्स लाइसेंस से संबंधित डाटाबेस अपलोड नहीं होने के कारण 66578 (छियासठ हजार पाँच सौ अठत्तर) शस्त्र धारकों की लाइसेंस/अनुज्ञप्ति भारत सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त मामले में दोषी अधिकारी/कर्मियों पर कार्रवाई करते हुये डाटा अपलोड कराकर लाइसेंस चालू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ओ०पी० बनाना

*2933. श्री रित लाल राय (क्षेत्र संख्या-186 दानापुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला के अनुमंडल कार्यालय, सोनपुर के पत्रांक 280, दिनांक 24 जुलाई, 2021 द्वारा जिलाधिकारी, सारण को दानापुर प्रखंड के पंचायत मानस, पुराना पानापुर एवं कासिमचक को मिलकर एक अलग ओ०पी० निर्माण हेतु प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, लेकिन आजतक ओ०पी० का निर्माण नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पंचायतों को मिलाकर नया ओ०पी० का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उद्योग लगाना

*2934. श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी (क्षेत्र संख्या-240 सिकन्दरा (अ०जा०))--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जमुई जिला में मक्का एवं दलहन की बड़े पैमाने पर खेती होती है, लेकिन कृषि आधारित उद्योग नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार जमुई जिला के प्रखण्ड सिकंदरा के लछुआड में मक्का एवं दलहन कृषि पर आधारित उद्योग कबतक लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्थापना करना

*2935. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केसरिया)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत केसरिया प्रखंड में लीची की अच्छी खासी पैदावार होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार लीची प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना केसरिया प्रखंड के हुसैनी में करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मंजूरी देना

*2936. श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33 खजौली)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार के वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी श्री के०के०पाठक द्वारा बिहार वासियों एवं उनके अधीनस्थ कार्य करने वाले राज्य संवर्ग के पदाधिकारियों को गाली देते हुये एक विडियों वायरल हुआ है एवं संज्ञेय अपराध में माननीय उच्चतम न्यायालय का प्राथमिकी दर्ज करने हेतु स्पष्ट प्रावधान रहने के बावजूद उन पर इस कारण प्राथमिकी दर्ज नहीं किया गया है कि मुकदमा करने से पहले सामान्य प्रशासन विभाग की मंजूरी आवश्यक है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उन पर प्राथमिकी दर्ज करने हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक पटना के पत्रांक 536, दिनांक 3 फरवरी, 2023 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग से मंजूरी मांगी गयी है लेकिन आजतक मंजूरी नहीं मिली है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बिहारवासियों एवं राज्य संवर्ग के पदाधिकारियों के अस्मिता की रक्षा हेतु श्री पाठक पर मुकदमा चलाने हेतु कबतक मंजूरी देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्यों का आवंटन करना

*2937. श्री विनय बिहारी (क्षेत्र संख्या-5 लौरिया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार पुलिस बलों को समय-समय पर पदोन्नति का लाभ दिया जाता है, किन्तु पुलिस अवर निरीक्षक द्वारा निरीक्षक के या अन्य कर्मियों को पदोन्नत पद पर प्रभार ग्रहण के बावजूद पद के अनुरूप कार्यों का आवंटन नहीं किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक पदोन्नत

कर्मियों को उनके पद के अनुरूप कार्यों को आवंटन करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जाम से निजात दिलाना

*2938. श्री विद्या सागर केशरी (क्षेत्र संख्या-48 फारबिसगंज)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज नगर परिषद् के सुभाष चौक, हॉस्पिटल चौक मोड़ एवं पटेल चौक पर भयंकर जाम की समस्या बनी रहती है, जिसके कारण आम जन-जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, यदि हाँ, तो क्या, सरकार उक्त वर्णित नगर परिषद् क्षेत्र में जाम से निजात दिलाने हेतु ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जाँच कर कार्रवाई करना

*2939. श्री मोहम्मद अनजार नईमी (क्षेत्र संख्या-52 बहादुरगंज)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज, बहादुरगंज आदि थानों में वरीय पुलिस निरीक्षकों को छोड़कर जूनियर अवर पुलिस निरीक्षकों को थानाध्यक्ष के पद पर पदस्थापित किया जा रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त जिलों के थानों में थानाध्यक्ष के पदस्थापन की प्रक्रिया की जाँच कर नियमानुकूल कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वेतन का भुगतान करना

*2940. श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33 खजौली)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत सहकारी सूत मिल पण्डौल के प्रबंध निदेशक, सह-प्रबंधक जिला, उद्योग केन्द्र, मधुबनी ने अपने पत्रांक 247, दिनांक 15 फरवरी, 2020 के द्वारा उप-सचिव उद्योग विभाग, बिहार सरकार, पटना को पण्डौल सूत मिल, पण्डौल मधुबनी के 18 कर्मचारियों के दिनांक 1 जनवरी, 2000 से 31 मार्च, 2013 तक का वेतन भुगतान करने की अनुशंसा की थी, परन्तु अभीतक उक्त 18 कर्मचारियों का वेतन भुगतान नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त 18 कर्मचारियों को वेतन का भुगतान कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तानों की घेराबंदी

*2941. श्री अशोक कुमार (क्षेत्र संख्या-132 वारिसनगर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत खानपुर प्रखंड मे सिरोपट्टी, धरमपुर स्थित कब्रिस्तानों की घेराबन्दी नहीं कराये जाने की वजह से अन्य कठिनाई के साथ यह पशुओं का चारागाह बन गया है, जिससे स्थानीय लोगों में क्षोभ है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दोनों कब्रिस्तानों की घेराबन्दी कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उप-कारा का निर्माण

*2942. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी अनुमंडलों में एक उप-कारा निर्माण कराने की योजना है तथा अनुमंडलीय न्यायालय संचालित अनुमंडलों में प्राथमिकता के आधार पर उप-कारा निर्माण कराया जाना है, परन्तु राज्य में 101 अनुमंडलों में मात्र 17 अनुमंडलों में उप-कारा का निर्माण हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सिकरहना ढाका अनुमंडल में अनुमंडलीय न्यायालय वर्ष 2014 से संचालित है, जिसमें सेन्ट्रल जेल मोतिहारी से बंदियों को 30 कि०मी० प्रतिदिन दूर लाया जाता है, इसी क्रम में ढाका में एक बंदी की हत्या भी हो चुकी है, लेकिन अभीतक सिकरहना ढाका में उक्त कारा की स्वीकृति नहीं हुयी ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार सिकहरना ढाका सहित राज्य के शेष अनुमंडलों में उप-कारा की स्वीकृति एवं भवन निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी कराना

*2943. श्री मुहम्मद इजहार असफी (क्षेत्र संख्या-55 कोचाधामन)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत 55 कोचाधामन विधान सभा के पाटकोई कला, पंचायत अन्तर्गत धुरना कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने से आवारा पशुओं एवं असामाजिक तत्वों का आना-जाना लगा रहता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

व्यवस्था करना

*2944. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शव को दफनाने के लिये अल्पसंख्यक समुदाय के लोग सामान्यत: शाम में ही कब्रिस्तान जाते हैं, लेकिन कब्रिस्तानों में हाई मास्ट लाइट/सोलर लाइट नहीं रहने के कारण शव दफनाने आये लोगों को काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक सभी कब्रिस्तानों में हाई मास्ट लाइट/सोलर लाइट लगवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी निर्माण कराना

*2945. श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन (क्षेत्र संख्या-224 रफीगंज)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला अन्तर्गत प्रखंड रफीगंज के पंचायत दुगुल के ग्राम-तेतार चक में कब्रिस्तान की चहारदीवारी नहीं है जिसके कारण असामाजिक तत्व के लोगों एवं पशुओं का आना-जाना लगा रहता है एवं अतिक्रमण हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त-कब्रिस्तान की चहारदीवारी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

गिरफ्तार करना

*2946. श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी (क्षेत्र संख्या-240 सिकन्दरा (अ०जा०))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नवादा जिलान्तर्गत ग्राम-खैरा, पंचायत-छवैल, थाना-कौवाकोल, जिला-नवादा के यमुना माँझी की हत्या विकास सिंह, पिता-सिया सिंह व अन्य उक्त गाँव के रहने वालों ने तेजाब डालकर दिनांक 24 अक्टूबर, 2022 को कर दिया है, जिसका कौवाकौल थाना में केस संख्या 601/22, दिनांक 24 अक्टूबर, 2022 दर्ज किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त केस के अभियुक्त की गिरफ्तारी अबतक नहीं हुयी है एवं वह केस नहीं हटाने पर पुन: हत्या करने की धमकी दे रहे हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार अभियुक्त को कबतक गिरफ्तार करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*2947. श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन (क्षेत्र संख्या-224 रफीगंज)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला अन्तर्गत प्रखंड कुढ़नी के पंचायत सोनवर्षा के ग्राम सोनवर्षा में कब्रिस्तान, जिसका खाता नं० 528, खेसरा नं० 2874, रकबा-9.31 एकड़ तथा मौजा-सोनवर्षा साह, थाना नं० 811 है, की घेराबंदी नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 03 अप्रील 2023 (ई०)।

पवन कुमार पाण्डेय,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा ।

बि०स०मु० - 112 (एल०ए०), 2022-23 डी०टी०पी० -550